

D.H. 6369 Ambala

प्रेषक

Email Sent
2-10-15

सेवा में

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला।यादि क्रमांक 462-व-5-2015/ 15195-
चण्डीगढ़ दिनांक 26-8-15

विषय:

Diversion of 0.128 ha. of forest land in favour of Executive Engineer Construction Division (NH) PWD B&R, Panchkula for work of strengthening & raising of NH 72 Ambala-Kala Amb road km. 26.850 to 34.850 between Shahzadpur and Naraingarh, under forest division and District Ambala, Haryana.

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक डी-III-6069/3001 दिनांक 06.08.2015.

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुगति मांगी गई है।

2. विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.128 वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति सहित निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है:-

- प्रयोक्ता एजेंन्सी से स्कीम के अनुसार 25,85,10/-रु प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-एफ0रसी0 दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रेजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।
- भारत सरकार पत्र संख्या 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 24.06.2011 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के (कैम्पा हरि0) लेखा संख्या S.B.O 1025209, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 या (कैम्पा-हरि0) लेखा संख्या एस0बी0 344902010105418 भारतीय यूनियन बैंक, सुंदरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और सरकार को निर्धारित प्रोफार्मा द्वारा सूचित किया जाये।

3. उपर्युक्त शर्तों की अनुपलना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा ओ0एस0डी0 तदर्थ कैम्पा से राशि जगा होने की पुष्टि भी करवाई जाए ताकि मामले आगामी कार्यवाही की जा सके। राज्य सरकार की अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

विशेष सचिव, 26/8/15

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

प्रतिलिपि:-

- वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बेज नं0 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़।
- वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला।

पुं० क्रमांक 6369

दिनांक 28-9-15

एक प्रति डी० न० अम्बाला को डा० गये
कार्यालय हरियाणा सरकारNodal Officer & Conservator of Forests (FC)
O/o Principal Chief Conservator of Forests,
Haryana, Panchkula.